संख्या-44/2025/1185/77-6-2025/2(जनरल)/2023

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इन्वेस्ट यू0पी0।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 09 जून, 2025**

विषयः उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत मेगा श्रेणी में मेसर्स हल्दीराम स्नैक्स प्रा0लि0 को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत परिभाषित मेगा श्रेणी/अल्ट्रा मेगा श्रेणी की परियोजना/औद्योगिक इकाईयों द्वारा नीति में प्राविधानित प्रोत्साहन की सुविधा प्राप्त किये जाने हेतु मेसर्स हल्दीराम स्नैक्स प्रा0लि0 के लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने के आवेदन पर इन्वेस्ट यू0पी0 से संस्तुति के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचार-विमर्श किया गया है।

2- इन्वेस्ट यू0पी0 उपलब्ध कराये गये एजेण्डे के अनुसार औद्योगिक इकाई का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

भाग-1		**लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) की स्वीकृति हेतु उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा समीक्षा हेतु प्रकरण**				
क्र.सं.	**कंपनी/ स्थान/क्षेत्र**	**निवेश (₹करोड़ में)**	**श्रेणी**	**अपेक्षित प्रोत्साहन(₹करोड़ में)**	**आवेदन की तिथि**	**ईसी की तिथि**
1	**हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड**	662.25	सुपर-मेगा	पूंजीगत सब्सिडी	21.08.2024	22.10.2024

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्तानुसार वर्णित तथ्यों, अधिसूचना संख्या-45/2022/2770/77-6-2022-2(एम)/2022 दिनांक 04.11.2022 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022, शासनादेश संख्या-21/2023/1307/77-6-2023-2(एम)/2022 दिनांक 14.04.2023 द्वारा निर्गत एस0ओ0पी0 एवं शासन के पत्र संख्या- संख्या-469/77-6-2025/6099/225/2023/1761517, दिनांक 07.03.2025 में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्त प्रस्तर-2 में अंकित मेसर्स हल्दीराम स्नैक्स प्रा0लि0 को 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' निर्गत किए जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कृपया तदनुसार लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-44/2025/1185(1)/77-6-2025/2(जनरल)/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा।
7. प्रबंध निदेशक, पिकप।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामध्यान रावत
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।